प्रकाशन का 46 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक

ई-पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 46 अंक-44 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 15-22 नवम्बर 2021 मूल्य पांच रूपए

सरकार के वितीय प्रबन्धन पर उठने लगे सवाल

- 2021-22 में 50,192 करोड़ का बजट पूरा करने के लिए 20,000 करोड़ का कर्ज लिया जायेगा
- इस वर्ष करों और गैर करों से 7938.14 करोड़ ही मिलेंगे
- केन्द्रीय करों का हिस्सा भी 22672 करोड़ ही रहने की संभावना है
- 30,000 करोड़ की आय से 50,000 करोड का खर्च कैसे होगा
- 25 करोड़ की लागत से बने होटल सिराज को प्राइवेट सेक्टर को देने की चर्चा

शिमला/शैल। जयराम सरकार इस माह दो हजार करोड़ का ऋण लेने जा रही है। इसके लिए भारत सरकार से वांछित अनुमति ले ली गया है। इसमें कुछ पैसा प्रतिभूतियों की नीलामी से जुटाया जा रहा है। इसके लिए 18 नवम्बर को आरबीआई को लिखे पत्र में कहा गया है कि सरकार को यह कर्ज विकास कार्यों में निवेश के लिये चाहिये। परंतु इस संद्धर्भ छपे समाचारों में यह कहा गया कि सरकार को वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए पैसा चाहिये। सरकार के वित्तीय प्रबंधन के लिए एफआरबीएम अधिनियम पारित है। इस अधिनियम के अनुसार सरकार अपने प्रतिबद्ध खर्चे पूरा करने के लिए कर्ज नहीं ले सकती। कर्ज केवल जन विकासात्मक कार्यों के लिए लिया जा सकता है जिनसे नियमित रूप से राजस्व आय होगी। एफआरबीएम की धारा सात में इसका स्पष्ट उल्लेख है और इसकी खुलकर अवहेलना हो रही है। ऐसा इसलिये है क्योंकि इसी अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि किसी भी आर्थिक फैसले के लिए कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। इसी का लाभ उठाकर अफसरशाही केवल कर्ज लेकर घी पीने के सिद्धांत पर चल रही है।

स्मरणीय है कि जब मुख्यमंत्री जयराम ने अपना पहला बजट भाषण नौ मार्च 2018 को सदन में पड़ा था तब यह कहा था कि सरकार को 46385 करोड़ का कर्ज विरासत में मिला है। यह भी कहा था कि पूर्व सरकार ने 18000 करोड़ का अतिरिक्त कर्ज ले रखा है। आज यदि कर्ज पर नजर डाली जाये तो यह आंकड़ा इस इसी वित्तीय वर्ष के अंत तक 70,000 करोड़ से भी पार चला जायेगा यह स्थिति बनी हुई है। प्रदेश का कर्ज भार जितना बढ़ता जायेगा उसका सीधा असर रोजगार और महंगाई पर पड़ेगा। इसलिए आज जनता के सामने यह रखा जाना चाहिये कि यह कर्ज कौन से विकास कार्यों पर खर्च हो रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 2021-22 के लिए 50192 करोड़ के कुल खर्च का बजट सदन में रखा है। इस कुल खर्च में सरकार के पास कर राजस्व से 5184.49 करोड़ और गैर कर राजस्व से 2753.65 मिलेगा अर्थात करों से कुल 7938.14 करोड़ मिलेगा। इस वर्ष की वार्षिक योजना 9405 करोड़ की है जिसमें 90% केंद्र से मिलेगा और 10% अपने साधनों से जुटाना पड़ेगा। केंद्रीय करों में हिस्से के तहत पिछले वर्ष 22672 करोड़ मिलने का अनुमान था। कोरोना के कारण केंद्र और राज्य सरकारों सभी के राजस्व पर असर पड़ा है। उसके चलते यह माना जा सकता है कि इस बार भी केंद्रीय हिस्से के रूप में 22672 करोड़ तो मिल ही जायेंगा। इस तरह प्रदेश की कुल आय 30610.14 करोड़ रहेगी। लेकिन इस तीस हजार करोड़ की आय के मुकाबले सरकार का कुल खर्च 50,000 करोड़ का है। इसका सीधा अर्थ है कि यह खर्च पूरा करने के लिए सरकार को बीस हजार करोड़ लेना पड़ेगा।

इस वस्तु स्थिति में सरकार से यह सवाल करना आवश्यक हो जाता

शेष पृष्ठ 8 पर......

बेबी केयर किट खरीद पर उठते सवालों का जवाब कब आयेगा

शिमला/शैल। जयराम सरकार अटल आशीर्वाद योजना के तहत नवजात शिशुओं और उनकी माताओं के लिये एक बेबी किट दे रही है। इस किट में कुल 15 चीजें रखी गई हैं जो नवजात जच्चा-बच्चा दोनों के लिए उपयोगी मानी गयी है। 2019 से यह योजना लागू है। अभी कोविड कॉल में 01-04-2020 से 31-01-2021 तक 104738 किट खरीदी गयी है। इसके लिये ई-टेंडर के माध्यम से निविदायें मांगी गयी और इसमें 8 फर्मो ने भाग लिया। यह किट प्रदेश के स्वास्थय संस्थानों को दिए गए हैं। यह खरीद 1074.98 रुपए प्रति किट के हिसाब से हुई है। इस पर आम चर्चा है कि जो किट सरकार ने 1074.98 में खरीदी है उसकी बाजार में कीमत 500 से 600 के बीच है। उप चुनावों के दौरान सोलन से कांग्रेस नेता कुशल जेठी ने एक पत्रकार वार्ता में यह मुद्दा उठाया था और इस पर जांच की मांग की थी। लेकिन अभी तक सरकार की ओर से ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है।

स्मरणीय है की 24 मार्च 2020 को कोरोना के कारण पूरे देश में लाकडाउन लग गया था। उस दौरान अस्पतालों की वर्किंग भी प्रभावित हुई थी । लोगों ने अस्पताल जाना छोड़ दिया था। इस दौरान कैसे यह किट प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों तक पहुंचे होंगे यह अपने में एक सवाल बनकर खड़ा है और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अधिकारी इस पर कुछ भी नही कह पा रहे हैं। इसी कारण से करोड़ों की इस खरीद पर सवाल उठ रहे हैं।

Health and Family Welfare Department,
Himachal Pradesh, Shimla-9

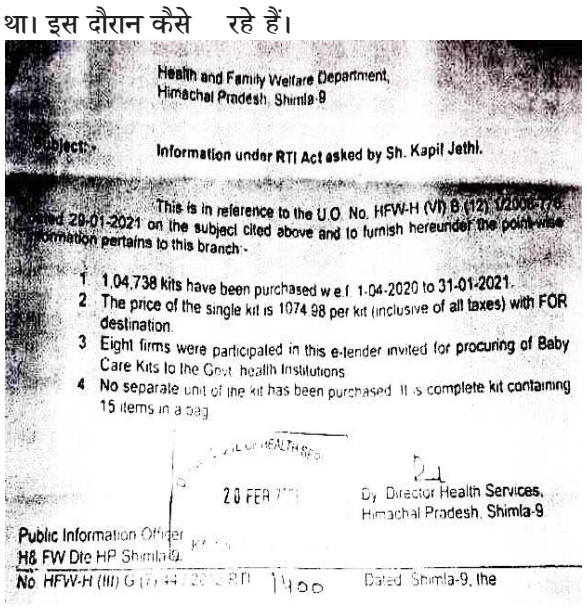

Subject:- Information under RTI Act asked by Sh. Kapil Jethi.

This is in reference to the U.O. No. HFW-H (VI) B (12) 1/2006-[illegible] dated 29-01-2021 on the subject cited above and to furnish hereunder the point-wise information pertains to this branch:-

1. 1,04,738 kits have been purchased w.e.f. 1-04-2020 to 31-01-2021.
2. The price of the single kit is 1074.98 per kit (inclusive of all taxes) with FOR destination.
3. Eight firms were participated in this e-tender invited for procuring of Baby Care Kits to the Govt. health Institutions.
4. No separate unit of the kit has been purchased. It is complete kit containing 15 items in a bag.

20 FEB [illegible]

Dy. Director Health Services,
Himachal Pradesh, Shimla-9

Public Information Officer
H& FW Dte HP Shimla-9.

No. HFW-H (III) G [illegible] 1400 Dated Shimla-9, the

लोकतांत्रिक परंपराओं को स्थापित करने की जरूरत है:राज्यपाल

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पीठासीन अधिकारियों के 82वें सम्मेलन के समापन सत्र में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि वाद-विवाद और संवाद हमारी समृद्ध परम्परा और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है और हमें इस परम्परा को देश की विधानसभाओं में स्थापित करने की आवश्यकता है।

राज्यपाल ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक अवसर है जब हम सब यहां

एकत्र हुए हैं और हमारा प्रयास होना चाहिए कि इन दो दिनों के दौरान यहां जो भी विचार-विमर्श और संकल्प हुए हैं, उन्हें साझा करें।

आर्लेकर ने कहा कि हर राज्य की अलग-अलग समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन उनका समाधान उस क्षेत्र की परिस्थितियों के अनुकूल संभव है। लेकिन, विधानसभा या विधान परिषद् एक ऐसी जगह है जहां सार्थक चर्चा होती है और प्रत्येक सदस्य को अपनी समस्या रखने और बोलने का अवसर देना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि हमारे देश की परम्परा ऐसी है कि इसमें हरेक की राय ली जानी चाहिए। उन्होंने ऋग्वेद का उदाहरण देते हुए कहा कि हमारे पास हर तरफ से मूल्यवान विचार आने चाहिए और विधानसभा एक ऐसा ही स्थल है। विधानसभा अध्यक्ष को सभी सदस्यों को बोलने का अवसर देना चाहिए और यह हमारी परम्परा भी रही है।

आर्लेकर ने कहा कि हमारा लोकतंत्र केवल 100 वर्षों का नहीं है। स्मृतियों में उल्लेख है कि देश और राज्य को चलाने के लिए कमेटियों का गठन किया जाता रहा है और उस समय भी असेंबली शब्द का प्रयोग होता था। उन्होंने कहा कि राजा भी उन समितियों की बात सुनने के लिए बाध्य होता था। राज्यपाल ने कहा कि हमने बहस, विवाद, चर्चा की अवधारणा को नजरअंदाज नहीं किया जैसी कि परम्परा हमारे पूर्वजों ने स्थापित की थी। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक परम्पराएं हमारे लिए नई नहीं हैं, वे स्वाभाविक विचार हैं और हमें इन परंपराओं को स्थापित करने की जरूरत है।

पीठासीन अधिकारियों को नवीनतम तकनीक की जानकारी की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि जब वे गोवा विधानसभा के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने इसे कागजरहित विधानसभा बनाया। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा एक राष्ट्र एक विधान मंच की स्थापना का भी समर्थन किया और कहा कि इस मंच के माध्यम से हम अपने राज्यों के अच्छे आचरण को दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि जब हम स्वतंत्रता का शताब्दी वर्ष मनाएंगे, तो हम नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यहां आने वाले सभी सदस्य हिमाचल की सुखद यात्रा और इस क्षेत्र की अविस्मरणीय यादें भी ले जाएंगे।

इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में लोकतंत्र की मजबूती के लिए कई संकल्प और निर्णय लिए गए हैं, जो विधानसभाओं के कामकाज में व्यापक परिवर्तन लाने में सहायक होंगे। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी का पूर्ण उपयोग कर एक राष्ट्र एक विधान मंच के संकल्प को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा और वर्ष 2022 तक इसे साकार कर लिया जाएगा। उन्होंने संसदीय समितियों को अधिक प्रभावी बनाने पर भी बल दिया और पीठासीन अधिकारियों को वर्ष में एक बार समितियों की समीक्षा करने को कहा। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन का संकल्प सभा में सार्थक चर्चा करना और इसे लोगों के प्रति जवाबदेह बनाना है।

बिड़ला ने कहा कि सदन में अनुशासनहीनता को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है और इस दिशा में पीठासीन अधिकारियों की जिम्मेदारी अधिक है, जिन्हें सदन में मान-प्रतिष्ठा बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने सदन में अधिक चर्चा पर बल देते हुए कहा कि हर समस्या का समाधान बहस से किया जा सकता है। उन्होंने पीठासीन अधिकारियों से आग्रह किया कि नियम और प्रक्रियाएं बनाते समय आमजन को केन्द्र में रखा जाना चाहिए।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने विधानसभाओं में प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के बेहतर उपयोग पर बल दिया। उन्होंने कहा, शोध होगा तो गुणात्मक चर्चा भी होगी। उन्होंने कहा कि पीठासीन अधिकारी किसी दल विशेष के नहीं होते और उन्हें युवा प्रतिनिधियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष अवसर देने चाहिए। उन्होंने हमारी समृद्ध लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चर्चा को और बेहतर बनाने पर बल दिया और पीठासीन अधिकारियों को राजधानी शिमला के ऐतिहासिक पहलुओं से भी अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को कोरोना महामारी की कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाला है। देश ने कोविड के विरूद्ध टीकाकरण की 100 करोड़ से अधिक खुराकें पूरी की हैं। उन्होंने अमृत महोत्सव के दौरान विधायिका सप्ताह आयोजित करने और चर्चा के लिए 75 विषयों को चुनने का सुझाव दिया।

राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि 82वें सम्मेलन में तैयार किया गया रोडमैप अगले 100 वर्षों के लिए प्रेरणास्रोत होगा। यह रोडमैप लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन के दौरान दिए गए सुझाव लोकतंत्र को सुदृढ़ करने का कार्य करेंगे। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने पर बल दिया। उन्होंने सम्मेलन के सफल आयोजन और उपलब्ध कराई गई व्यवस्थाओं के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया।

इससे पूर्व, हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने राज्यपाल एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित किया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के गौरवशाली इतिहास की जानकारी दी और समृद्ध परंपराओं को आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा के उपाध्यक्ष हंस राज ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने गुरु नानक जयन्ती पर बधाई दी

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने गुरु नानक जयन्ती के अवसर पर प्रदेशवासियों, विशेषकर सिक्ख समुदाय के लोगों को बधाई दी है।

राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि गुरु पर्व सिक्खों का पवित्र त्यौहार है, जिसे सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि गुरूजी की शिक्षाओं का अनुसरण कर हम शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने बधाई संदेश में कहा कि गुरु नानक देव जी ने प्रेम, शांति तथा साम्प्रदायिक सद्भाव का सन्देश दिया है। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी ने विश्वबन्धुत्व पर बल दिया और उनकी शिक्षाएं मौजूदा परिस्थितयों में और भी प्रासंगिक हैं।

मुख्यमंत्री ने लाला लाजपत राय को दी पुष्पांजलि

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, शिमला नगर निगम की महापौर सत्या कौंडल और पार्षदगण भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर ऐतिहासिक रिज़ मैदान पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।

शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, नगर निगम शिमला की महापौर सत्या कौंडल, उप महापौर शैलेन्द्र चौहान, पार्षद, उपायुक्त आदित्य नेगी, नगर निगम के आयुक्त आशीष कोहली और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजति अर्पित की।

इस अवसर पर सूचना एवं जन संपर्क विभाग के कलाकारों ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए।

मेले व त्योहार हमें एकता के सूत्र में बांधते हैं :राज्यपाल

शिमला/शैल। अन्तरराष्टीय श्री रेणुकाजी मेला-2021 विधिवत रूप से सम्पन्न हुआ, जिसके समापन

समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने देव पालकियों को उठाकर की।

इसके पश्चात, राज्यपाल ने रेणु मंच से जिलावासियों को अपने सम्बोधन में कहा कि मेले एवं त्योहार हमारी प्राचीन संस्कृति के परिचायक हैं, जिनके माध्यम से हमें आपस में मिलने-जुलने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि हमें अपने पूर्वजों से मिली इस प्राचीन पारम्परिक धरोहर को संजोए रखना है। ये मेले व त्योहार हमें एकता के सूत्र में बांधते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति का एक मूल निवासी हैं। हमारे आचार-विचार, रहन-सहन व भाषा में विविधता हो सकती है, लेकिन हमारी संस्कृति हमें एक होने का संदेश देती है।

उन्होंने कहा कि उन्हें परशुराम जी की भूमि गोमतक यानी गोवा से देवभूमि हिमाचल में परशुराम जी व माता रेणुकाजी के दर्शन का सौभाग्य मिला है। उन्होंने जिलावासियों को मेले के सफल आयोजन की बधाई दी।

इससे पहले, राज्यपाल ने मेले में लगाई गई विभिन्न विकासात्मक प्रदर्शनियों का अवलोकन किया तथा बागवानी, शिक्षा, आयुर्वेद विभाग को क्रमश: प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया।

इसके उपरान्त, उन्होंने मेले के दौरान आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में विजेता टीमों को पुरस्कृत किया, जिसके तहत कबड्डी में विजेता महिला शिलाई सिरमौर की टीम, उप-विजेता टीम जींद हरियाणा सहित पुरूष कबड्डी प्रतिस्पर्धा में विजेता स्पोर्टस् अकादमी शिलाई सिरमौर व उपविजेता परशुराम क्लब घालजा, वॉलीबॉल पुरूष प्रतियोगिता में विजयी एक्स-सर्विसमैन संगड़ाह सिरमौर व उप-विजेता टीम सराहां, बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में रक्षित बडोन आदर्श राजगढ़ सिरमौर को पुरस्कृत कर सम्मानित किया।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा

सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज

विधि सलाहकार: ऋचा

अन्य सहयोगी

राजेश ठाकुर

सुदर्शन अवस्थी

राज्यपाल ने जरूरतमंदों को कम्बल बांटे

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने प्रदेश

रेडक्रॉस सोसायटी के माध्यम से नगर निगम शिमला के सफाई कर्मचारियों को कम्बल वितरित किए। रेडक्रॉस अस्पताल कल्याण शाखा की अध्यक्ष डा. साधना ठाकुर ने भी इस अवसर पर उपस्थित थीं।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि रेडक्रॉस सोसायटी समय-समय पर मानवता की सेवा में कई कार्य कर रही है और जरूरतमंद लोगों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने कहा कि रेडक्रॉस के माध्यम से जरूरतमंदों को 1100 कम्बल वितरित किए गए हैं।

मनरेगा के अंतर्गत सामग्री घटक की देनदारियों के लिए 88.77 करोड़ जारी: वीरेंद्र कवंर

शिमला/शैल। प्रदेश के ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा के अन्तर्गत 88.87 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की। इसके माध्यम से मनरेगा के

अन्तर्गत सामग्री घटक की देनदारियों का भुगतान किया गया।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा के अन्तर्गत दूसरे ट्रैंच के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र सहित प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया है और केंद्र से शीघ्र ही धनराशि जारी हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए वर्ष 2021-22 में मनरेगा के अन्तर्गत 250 लाख कार्य दिवस अर्जित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अभी तक प्रदेश में 209.11 लाख कार्य दिवस अर्जित किए जा चुके हैं। माहवार लक्ष्य के विरूद्ध अक्तूबर तक 200.74 लाख लक्ष्य के विरूद्ध 209.11 लाख लक्ष्य अर्जित कर दिए गए हैं।

मंत्री ने कहा कि मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में 567.77 करोड़ रुपये, 2018-19 में 849.48 करोड़ रुपये, 2019-20 में 708.97 करोड़ रुपये, 2020-21 में 988.95 करोड़ रुपये और 2021-22 में 673.41 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अभी तक कुल व्यय/देनदारी 778 करोड़ रुपये है।

वीरेंद्र कंवर ने कहा कि विभाग द्वारा वित्त विभाग के साथ कॉर्पस तैयार किया गया है जिसके अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में 100 करोड़ रुपये अग्रिम राशि राज्य रोजगार गारंटी निधि में सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के लिए पश्चात् जमा कर दी गई है तथा इसे शीघ्र ही जारी किया जा रहा है ताकि सामग्री की आपूर्ति की जा सके।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार को मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 का उपयोगिता प्रमाण पत्र दो दिनों के भीतर भेज दिया जाएगा। जिलों से जो प्रस्तावनाएं प्राप्त हुई हैं, उनका अवलोकन करने पर यह पाया गया कि कुछ प्रस्तावनाएं सही नहीं है। इस सम्बन्ध में विभाग ने समस्त अतिरिक्त उपायुक्त/ परियोजना अधिकारियों से इस विषय पर वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से चर्चा की और संशोधित प्रस्तावनाएं विभाग को शीघ्र ही प्रस्तुत की जाएंगी।

हिमाचल भवन में गेट टूगेदर आयोजित

शिमला/शैल। नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन में दिल्ली में रहने वाले, सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों का मेल-जोल कार्यक्रम (गेट टूगेदर) आयोजित किया गया। प्रधान आवासीय आयुक्त कार्यालय ने पहली बार इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया।

प्रधान आवासीय आयुक्त एस. के. सिंगला ने भारत सरकार में सेवारत आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों और दिल्ली में रहने वाले सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ समन्वय किया।

बैठक में राज्य की विकास परियोजनाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर अधिकारियों ने बहुमूल्य जानकारी भी सांझा की।

इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश में आयोजित किए जा रहे स्वर्णिम हिमाचल समारोहों के बारे में भी चर्चा की गई। यह अवगत करवाया गया कि नई दिल्ली में पीआरसी कार्यालय के समन्वय से दिल्ली में कार्यरत राज्य के विभिन्न गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। हाल ही में एक चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई और दिसंबर और जनवरी में एक मैराथन, रक्तदान शिविर और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

इस मौके पर उप-आवासीय आयुक्त पंकज शर्मा भी मौजूद थे।

स्मार्ट सिटी के तहत विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश:पठानिया

शिमला/शैल। वन युवा खेल सेवाएं मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि धर्मशाला स्मार्ट सिटी के तहत विकास कार्यो में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि लोगों को बेहतर

सुविधाएं मिल सकें। वन मंत्री राकेश पठानिया कालापुल विश्राम गृह में नगर निगम के जन प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नगर निगम में रिक्त पदों को भरने के उचित कदम उठाया जाएगा ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कतें नहीं आएं। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में स्मार्ट सिटी के तहत 115 करोड़ की 19 परियोजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है जबकि 250 करोड़ की 32 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है इसके अतिरिक्त 33 करोड़ की छह परियोजनाओं की डीपीआर तैयार हो चुकी है।

उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी केंद्र तथा राज्य सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए किसी भी स्तर पर धान की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी।

पठानिया ने कहा कि धर्मशाला पर्यटन की दृष्टि से अहम स्थान रखता है। धर्मशाला राज्य के सबसे जीवंत शहर के रूप में उभरा है, जो हर साल न केवल देश बल्कि विदेशों से भी लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। उन्होंने कहा कि प्रकृति ने धर्मशाला को अपार प्राकृतिक सुंदरता से और स्वास्थ्यप्रद जलवायु से नवाजा है। उन्होंने कहा कि परम पावन दलाई लामा का आवास होने के कारण धर्मशाला की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इस शहर को विदेशी और घरेलू पर्यटकों के लिए अधिक सुंदर और आकर्षक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा और स्थानीय लोगों को आधुनिक नागरिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी ने इस परियोजना के तहत विभिन्न परियोजनाओं में प्रगति की गति को प्रभावित किया है। उन्होंने अधिकारियों को इन परियोजनाओं पर काम में तेजी लाने के निर्देश दिये, ताकि इन्हें निर्धारित समय अवधि में पूरा किया जा सके।

इस अवसर पर महापौर ओंकार नैहरिया, उप महापौर सर्वचंद गलोटिया विभिन्न वार्डो के पार्षद, मौजूद थे।।

आरटीओ ऊना में स्थापित होगा पहला आदर्श बाल यातायात पार्क

शिमला/शैल। सड़क सुरक्षा राज्य स्तरीय स्थाई समिति की बैठक अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन जे. सी. शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में समाज के सभी वर्गों के लिए सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विविध विषयों पर व्यापक चर्चा के उपरान्त विभिन्न निर्णय लिए गए।

जे.सी. शर्मा ने बताया कि प्रदेश में स्कूलों और महाविद्यालयों के माध्यम से सड़क सुरक्षा गतिविधियों के संचालन के लिए सड़क सुरक्षा क्लबों और सड़क सुरक्षा जागरूकता केन्द्रों की स्थापना के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को 10 हजार रुपये प्रति विद्यालय तथा राजकीय महाविद्यालयों को 25 हजार रुपये प्रति महाविद्यालय सीड मनी के रूप में देने की स्वीकृति प्रदान की गई। सड़क सुरक्षा क्लबों और सड़क सुरक्षा जागरूकता केन्द्रों के माध्यम से विद्यार्थियों तथा आम लोगों को नशा सेवन के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए भी विभिन्न प्रयास किए जाएंगे।

बैठक में प्रदेश में बच्चों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए परिवहन विभाग द्वारा प्रायोगिक आधार पर आरटीओ ऊना में पहला आदर्श बाल यातायात पार्क स्थापित करने को स्वीकृति भी प्रदान की गई। तीव्र गति व नशा सेवन के कारण होने वाले सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस विभाग को लेजर गन व एल्कोहल सेंसर की खरीद प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के आदेश दिए गए। इसके लिए 21 अगस्त, 2021 को आयोजित बैठक में 75 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

प्रदेश में मानवीय चूक के कारण होने वाले सड़क हादसों में कमी लाने के दृष्टिगत सभी चालक प्रशिक्षण संस्थानों में सुधार के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंसी से शीघ्र ही थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने का निर्णय भी लिया गया।

बैठक में विशेष सचिव वित्त राकेश कंवर, उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी, निदेशक परिवहन अनुपम कश्यप, सहायक पुलिस महानिरीक्षक सन्दीप धवल, संयुक्त निदेशक उच्चत्तर शिक्षा डॉ. हरीश कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

शीत ऋतु के लिए संवेदनशील क्षेत्रों का मानचित्रण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए: मुख्य सचिव

शिमला/शैल। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने उपायुक्तों और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ- राजस्व विभाग द्वारा आयोजित शीतकालीन मौसम की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने उपायुक्तों और संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए तैयार रहने और विशेष रूप से बर्फीले क्षेत्रों के लिए आवश्यक वस्तुओं के संग्रह करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी सर्दी के मौसम के लिए संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित कर इन क्षेत्रों का मानचित्रण प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए।

राम सुभग सिंह ने शैडों एरिया की पहचान करने और विशेष रूप से जनजातीय और दूर-दराज के क्षेत्रों में संचार प्रणालियों की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए कहा। उन्होंने संचार के वैकल्पिक विकल्पों को खोजने और संचार के सभी साधन जैसे मोबाइल, लैंडलाइन, आईएसएटी, वीएसएटी आदि की कार्यक्षमता की जांच करने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित करने को कहा।

उन्होंने पिछले अनुभव के अनुसार संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने और बर्फ हटाने के लिए क्षेत्र को प्राथमिकता देकर श्रमशक्ति और मशीनरी तैनात करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने अधिकारियों से अटल टनल से लगते क्षेत्रों के लिए विशेष व्यवस्था करने के लिए कहा क्योंकि सर्दियों के मौसम के दौरान इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। उन्होंने राज्य के निचले क्षेत्रों के उपायुक्तों को सर्दियों में शीत लहरों के लिए तैयारियां करने और खुले क्षेत्रों में रहने वालों को आश्रय प्रदान करने को कहा।

उन्होंने पुलिस विभाग को त्वरित प्रतिक्रिया दल गठित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने बिजली की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सर्दियों से पहले सभी लकड़ी के खंभों को बदलने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि हिमाछादित क्षेत्रों में बर्फ हटाने के लिए आवश्यक स्नो ब्लोअर और अन्य मशीनरी उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने हिमस्खलन संभावित क्षेत्रों की तैयारियों का भी जायजा लिया।

उन्होंने जंगल और घरेलू आग के बारे में क्या करें और क्या न करें के बारे में लोगों को जागरूक करने को कहा।

बैठक में सभी उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और संबंधित विभागों के अधिकारी भी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित थे।

बाल मजदूरी-बाल विवाह-बाल भीख के मामलों में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश

शिमला/शैल। अतिरिक्त उपायुक्त जतिन लाल ने मंडी जिला में बाल मजदूरी, बाल विवाह और बाल भीख के मामलों की रोकथाम के लिए ऐसे मामलों में दोषियों के विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने बाल संरक्षण अधिकारी को निर्देश दिए कि वह दोषियों के खिलाफ पुलिस की बाल संरक्षण यूनिट, जिला बाल कल्याण समिति तथा चाईल्ड लाईन में मामले दर्ज करवाएं तथा आगामी बैठक में समिति के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

अतिरिक्त उपायुक्त जिला बाल संरक्षण समिति की त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में बाल हित व संरक्षण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को बाल संरक्षण से जुड़ी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने को कहा। नगर परिषद मुख्यालयों एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर में डिस्प्ले स्क्रीन के माधयम से योजनाओं का प्रसार करें।

अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि जिला बाल संरक्षण इकाई 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए देखभाल व संरक्षण सम्बन्धित कार्य कर रही है। जिला में 8 बाल-बालिका गृह चलाए जा रहे हैं, जोकि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत पंजीकृत हैं।

मुक्त आश्रय गृह में लावारिस अवस्था में मिले बच्चे, घर से भागे हुए इत्यादि बच्चों को अल्पावधि तक रहने की सुविधा प्रदान की जाती है। बाल-बालिका गृह में रह रहे बच्चों को जो 10वीं व 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं और 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हुई है, ऐसे बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

बैठक में जिला स्वास्थ्य अधिकारी दिनेश ठाकुर, जिला बाल संरक्षण अधिकारी और समिति के अन्य सदस्य उपस्थिति रहे।

सरल को कठिन बनाना आसान है, परंतु कठिन को सरल बनाना मुश्किल, और जो कठिन को सरल बनाना जानता है, वह व्यक्ति विशेष है। .....चाणक्य

सम्पादकीय

मोदी की क्षमा याचना का अर्थ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवादित कृषि कानूनों को संसद के आगामी सत्र में वापस लेने की घोषणा की है। गुरू पर्व पर यह घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने आंदोलनरत किसानों से घर वापसी जाने का आग्रह किया है। परंतु किसानों ने इस आग्रह को अस्वीकार करते हुए इस घोषणा के अम्ल में आने तक आंदोलन वापिस ना लेने का बात की है। इसी के साथ किसानों ने एम एस पी का वैधानिक प्रावधान किए जाने की भी मांग की है। प्रधानमंत्री ने यह घोषणा करते हुए यह क्षमा याचना भी की है कि वह इन कानूनों से होने वाले लाभ को किसानों को समझाने में असफल रहे हैं। इन कानूनों को वापस लेने की घोषणा करते हुए नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि यह कानून पूरी साफ नीयत से लाये थे और इन्हें किसानों के लिए लाभकारी मानते हैं। प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य से यह सामने आता है कि वह अभी इस फैसले को सही मानते हैं और वापस लेने की घोषणा वह बहुमत का सम्मान करते हुए कर रहे हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि अब प्रधानमंत्री ने यह मान लिया है कि आंदोलन में किसानों का बहुमत भाग ले रहा था। यह सही भी है कि देश का सारा गैर एनडीए विपक्ष इस आंदोलन का समर्थन कर रहा था और इन कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहा था। आज भी 80% लोग देश में प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कृषि और कृषि संबंधित कार्यों पर निर्भर हैं। इन्ही का बहुमत इन कानूनों का विरोध कर रहा था।

लेकिन आज तक अपने ही मन की बात देश को सुनाने में लगे रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस आन्दोलन की आंच तब महसूस हुई जब बंगाल हारने के बाद हिमाचल और राजस्थान में उपचुनाव भी बूरी तरह हार गये। इस हार का ही परिणाम है कि अब उत्तर प्रदेश के चुनावों के लिए नड्डा और राजनाथ जैसे नेताओं को भी दो-दो जिलों का प्रभारी बनाकर फील्ड में उतारना पड़ा है। किसान आंदोलन को असफल बनाने और बदनाम करने में सरकार और उसके समर्थकों ने क्या कुछ किया है यह किसी से छुपा नहीं है। इसी का परिणाम है कि इस आंदोलन में करीब 700 किसानों ने अपने प्राण दिए हैं। गांधीवादी सिद्धांतों पर एक वर्ष में भी अधिक देर तक चले इस आंदोलन में हिंसा भड़काने का हर प्रयास असफल रहा है। बल्कि इस आंदोलन ने आपसी भाईचारे और एकता की जो मिसाल कायम की है उसके लिए आंदोलन के नेतृत्व को सदा याद रखा जाएगा।

प्रधानमंत्री ने इस समय इन कानूनों को वापस लेने की घोषणा करके अपने सारे समर्थकों को हैरान कर दिया है। क्योंकि प्रधानमंत्री को समर्थन देने के लिए जिस तरह की भाषा और तथ्यों का प्रयोग यह लोग कर रहे थे उससे इन्हें पूरा विश्वास था कि नरेंद्र मोदी आंदोलन और उसके समर्थकों को पूरी तरह कुचल कर रख देगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और मोदी को क्षमा याचना करनी पड़ी है। मोदी की इस क्षमा याचना से उनके समर्थकों को भी सबक लेने की जरूरत है उन्हें अब अपने विवेक का भी प्रयोग करने का संदेश इस क्षमा याचना में छिपा है। क्योंकि जो लोग निष्पक्षता से इन कानूनों का आकलन कर रहे थे वह जानते थे कि एक दिन इन्हें वापस लेना पड़ेगा। शैल के पाठक जानते हैं कि 5 जून 2020 को अध्यादेश के माध्यम से लाये गये इन कानूनों पर 6 जून को ही हमने लिखा था कि यह सबके लिए घातक है और वापस होंगे। हमारा यह आकलन सही सिद्ध हुआ है। इसी परिप्रेक्ष में आज फिर यह कहना आवश्यक हो जाता है कि 2014 से लेकर 2021 तक जितने भी आर्थिक फैसले लिये गये हैं उन सब का परिणाम बैड बैंक की स्थापना के रूप में सामने आया है। प्रधानमंत्री और उनके समर्थकों को यह जवाब देना होगा कि जून 2014 में हमारे बैंकों का जो एनपीए करीब ढाई लाख करोड़ था वह आज 10 खराब करोड़ तक कैसे पहुंच गया है। जिस देश के बैंकों का एनपीए 10 खरब करोड़ हो जाएगा वह बैंक कितनी देर जिंदा रह पायेंगे और इसके प्रभाव से कोई भी अछूता कैसे रह पायेगा। देश की आर्थिक स्थिति कभी भी विस्फोटक होकर सामने आने वाली है यदि पूरे देश में राज्यों से लेकर केंद्र तक मोदी का शासन भी हो जाये तो भी स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है। इस देश का सारा आर्थिक नियंत्रण विदेशी कंपनियों, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और एडीबी जैसी आर्थिक संस्थाओं के पास जा चुका है। इस समय इस संद्धर्भ में एक सार्वजनिक बहस की आवश्यकता है अन्यथा देश से क्षमा याचना के लिए भी समय नहीं मिलेगा।

भारत में तालिबान का समर्थन बहुसंख्यकवादी व समावेशी राष्ट्रवाद पर हमला

गौतम चौधरी

एक प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्र ने हाल ही में असम के दर्जनों मुसलमानों को सोशल मीडिया पर तालिबान समर्थक पोस्ट करने के लिए यूएपीए के तहत गिरफ्तार किए जाने की खबर प्रकाशित किया। इस मुद्दे की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गिरफ्तार किए गए लोग में कोई भी अनपढ़ नहीं है, बल्कि मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक अखिल भारतीय संगठन के राज्य सचिव शामिल सहित कई स्नातक और चिकित्सा पेशेवर हैं। गिरफ्तार किए गए अधिकांश लोगों ने तालिबान को एक इस्लामी सेना के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे दुनिया भर के मुसलमानों के उद्धारकर्ता के रूप में कार्य करना चाहिए। यह तथ्य निराधार और बचकाना लगता है तथा इन धारणाओं को जन्म देने वाली विभिन्न परिस्थितियों पर विचार करने की आवश्यकता है। इस प्रकार की खोखली मानसिकता न केवल देश के लिए घातक है अपितु उस समाज के लिए भी यह घातक है, जिस समाज की उक्त संगठन रहनुमाई करता है।

भारत में मुसलमानों के एक वर्ग के बीच तालिबान समर्थक भावनाओं के पीछे एक प्रमुख कारण भारत के कुछ प्रमुख मौलवियों/संगठनों द्वारा चरमपंथी संगठन की सकारात्मक समीक्षा को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नोमानी और जमात ए इस्लामी हिंद (जेआईएच) का नाम इस सूची में सबसे ऊपर है।

18 अगस्त को अपनी अपनी एक प्रेस विज्ञप्ति में सदर जमात-ए-इस्लामी हिन्द सैयद सदातुल्ला हुसैनी ने तालिबान को बधाई दी और उनके कृत को यह कहते हुए वैध ठहराया कि यह ध्यान देने योग्य है कि अफगान लोगों की दृढ़ता और संघर्ष के परिणामस्वरूप उनके देश से साम्राज्यवादी ताकतों की वापसी हुई। जमात-ए-इस्लामी हिन्द के अध्यक्ष अपनी प्रतिक्रिया देने के दौरान यह भूल गए कि तालिबान दुनिया के इस्लाम का क्या वह पूरे अफगानिस्तान के सभी जातीय समूह का भी प्रतिनिधित्व नहीं करता है। यह तथ्य किसी से छुपा नहीं है कि तालिबान पाकिस्तान समर्थित पश्तूनों के एक गुट की सेना है, जो पूरे अफगानिस्तान की आबादी का लगभग 1.3 प्रतिशत मात्र है। तालिबान को सभी पश्तूनों का भी समर्थन प्राप्त नहीं है। इसका जीता-जागता प्रमाण तालिबान के नियंत्रण के बाद से अफगानिस्तान और काबुल में हो रहे आतंकवादी हमले हैं। काबुल हवाईअड्डे पर अपनी जान जोखिम में डालने वाले अफगानों की बढ़ती संख्या भी इस बात का प्रमाण है कि अफगानिस्तान तालिबानियों के हाथ में सुरक्षित नहीं है और न ही यह पूरे अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए, यदि तालिबान अफगान लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, तो वह इस्लाम की सेना कैसे हो सकता है? भारत के मुसलमानों को यह समझना होगा कि अगर इस्लाम का तालिबानी चेहरा ही इस्लाम का सही प्रतिनिधित्व करता है तो फिर अफगानिस्तानी अवाम भारत या अन्य लोकतांत्रिक देशों में क्यों बसना चाह रही है?

मार्गदर्शन/प्रेरणा के लिए प्रभावशाली पदों पर बैठे नेताओं या उन लोगों की ओर देखना एक मानवीय स्वभाव है। व्यापक ब्यान देने से पहले, जेआईएच जैसे संगठनों को यह महसूस करना चाहिए कि निर्दोष मुसलमान इन राजनीति से प्रेरित ब्यानों के शिकार हो सकते हैं और यदि असम में हाल की गिरफ्तारी को एक उदाहरण के रूप में लिया जाए, तो निश्चित रूप से जेआईएच निर्दोष मुसलमानों को गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश में लगा है। हालांकि इस प्रयास में उन्हें सफलता हाथ लगने वाली नहीं है। जब तक जेआईएच तालिबान के हिंसक अतीत और इसके विभिन्न गैर-इस्लामिक प्रथाओं पर स्पष्टीकरण के साथ सामने नहीं आता है, तब तक निर्दोष मुसलमान कानून के गलत पक्ष में पड़ेंगे और इसकी जिम्मेदारी जेआईएच जैसे संगठनों पर ही होगी।

इसलिए भारतीय उलेमा और मुस्लिम नेताओं को सोच-समझ कर ब्यानबाजी करनी चाहिए। वैसे भारत के मुसलमान दुनिया के अन्य देशों के मुसलमानों की तुलना में कही अधिक प्रबुद्ध हैं और अपने हित-अहित समझते हैं। यही नहीं भारत में मुसलमानों का जुड़ाव बहुसंख्यक समुदाय के साथ प्रगाढ़। एक-दूसरे की रक्षा और सुख-दुःख में साथ रहते आए हैं। कई मोर्चों पर दोनों समुदाय ने बेहद समझदारी का भी परिचय दिया है। हालांकि राजनीतिक हालातों के कारण कई बार दोनों समुदायों में गतिरोध भी पनपे हैं लेकिन दोनों समुदाय कुछ सामाजिक सरोकारों से जुड़े हैं। इसके कारण भारत में तालिबानी चिंतन को कभी महत्व नहीं दिया जाएगा लेकिन इन छिछले नेताओं के कारण कुछ निर्दोष मुसलमान नाहक परेशानी में फंस जाते हैं। सच पूछिए तो इस प्रकार के चरमपंथी विचारधाराओं का समर्थन भारत जैसे समावेशी राष्ट्रवाद के लिए खतरा पैदा करता है। और इसकी परिणाम सकारात्मक तो बिल्कुल ही नही होता।

लगभग 75 प्रतिशत ग्राम पंचायतों के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली की योजनाएं पूर्ण हुईं

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत 2.69 लाख ग्राम पंचायतों में से 2 लाख ग्राम पंचायतों (जीपी) के लिए जीआईएस योजनाओं को पूरा करने के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है।

शिमला। जीआईएस – आधारित योजना का उपयोग करके महात्मा गांधी एनआरईजीएस के योगदान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और इसके प्रभाव जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहे हैं।

क्रिस्प – एम टूल, जो स्थानीय समुदायों को बदलते जलवायु के प्रभाव को समझने और उन पर उचित निर्णय लेने में सक्षम बनाएगा

युक्तधारा भू – स्थानिक योजना पोर्टल अन्य मंत्रालयों को मानचित्र पर नियोजित संपत्तियों की भौगोलिक स्थिति देखने में मदद करता है, जो कार्यों के लिए योजना को एकीकृत करता है, अभिसरण योजनाओं को अनुकूलित करता है और प्रभावी निगरानी की सुविधा प्रदान करता है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम – एनआरईजीए के अंतर्गत 2.69 लाख ग्राम पंचायतों में से 2 लाख ग्राम पंचायतों (जीपी) के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) योजनाओं को पूरा करने के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि तक पहुंच गया है। मंत्रालय रिज टू वैली दृष्टिकोण पर आधारित रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग कर रहा है। महात्मा गांधी एनआरईजीएस के अंतर्गत जीआईएस आधारित योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है जो ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत स्तर पर योजना बनाने के लिए वैज्ञानिक और समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करने में मदद करती है। कार्यान्वयन स्तर पर भागीदारी योजना सुनिश्चित करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण उपकरण है।

मंत्रालय ने मंत्रालय और एनआईआरडीपीआर (राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान) की पहल के माध्यम से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के महात्मा गांधी एनआरईजीएस कार्यकर्ताओं को जीआईएस और आरएस (रिमोट सेंसिंग) प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया है। इसके बाद, सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने वित्त वर्ष 2020 – 21 में प्रमुख कार्य के रूप में प्रति ब्लॉक जीपी की 4 जीआईएस – आधारित योजनाएं तैयार कीं, जिन्हें सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद सभी ग्राम पंचायतों में विस्तारित किया गया।

जीआईएस – आधारित योजना का उपयोग करके महात्मा गांधी एनआरईजीएस के योगदान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और इसके प्रभाव जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहे हैं। उचित योजना और निर्णय लेने के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर गुणवत्तापूर्ण संपत्तियों का विकास हो रहा है।

महात्मा गांधी नरेगा ने हमेशा ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका और एनआरएम संसाधन आधार को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) आधारित योजना पर बल दिया है। भूमि का व्यवस्थित विकास, वाटरशेड सिद्धांतों (रिज टू वैली एप्रोच) का पालन करते हुए वर्षा जल का उपयोग और आय अर्जित करने वाली संपत्ति का निर्माण महात्मा गांधी एनआरईजीएस कार्यों का महत्वपूर्ण पहलू बन गया है। महात्मा गांधी एनआरईजीएस के अंतर्गत किए गए कार्यों की योजना अब भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) और रिमोट सेंसिंग (आरएस) जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करके बनाई जाती है। इस उद्देश्य के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी) से बहुप्रशंसित 'भुवन' अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी समाधान का लाभ उठाया गया है।

देश भर में महात्मा गांधी एनआरईजीएस गतिविधियों की ग्राम पंचायत स्तर की योजना को और सुविधाजनक बनाने के लिए, युक्तधारा भू – स्थानिक योजना पोर्टल को ग्रामीण विकास मंत्रालय के महात्मा गांधी नरेगा डिवीजन के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा भुवन प्लेटफार्म पर विकसित किया गया है। यह योजना पोर्टल अन्य मंत्रालयों और विभागों को वेब प्रबंधन प्रणाली में मानचित्र पर नियोजित संपत्तियों की भौगोलिक स्थिति को देखने में भी मदद करता है, जो कार्यों के लिए योजना को एकीकृत करता है, अभिसरण योजनाओं को अनुकूलित करता है और कार्यों के कार्यान्वयन और संपत्तियों के निर्माण की प्रभावी निगरानी की सुविधा प्रदान करता है।

मंत्रालय ब्रिटेन के एफसीडीओ, जिसे क्रिस्प – एम के नाम से जाना जाता है, के साथ एक संयुक्त पहल के माध्यम से उपरोक्त डेटा के साथ जलवायु डेटा को एकीकृत करने की दिशा में भी काम कर रहा है, जो स्थानीय समुदायों को विभिन्न भूभौतिकीय मापदंडों के संदर्भ में बदलते जलवायु के प्रभाव को समझने और उनके बारे में उचित निर्णय लेने में सक्षम बनाएगा। इसे शुरू में सात राज्यों – बिहार, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में शुरू करने का प्रस्ताव है। बाद में अन्य सभी राज्यों में भी इसका विस्तार किया जाएगा।

भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस)

जीआईएस भौगोलिक भूभाग के मानचित्रण और विश्लेषण के लिए एक कंप्यूटर आधारित उपकरण है और क्षेत्र के लिए उपयुक्त विकास कार्यों के वैज्ञानिक विकल्प प्रदान करता है। यह तकनीक सामान्य डेटाबेस संचालन जैसे क्वेरी और सांख्यिकीय विश्लेषण को नक्शों द्वारा प्रस्तुत किए गए अनूठे चित्रण और भौगोलिक विश्लेषण लाभों के साथ एकीकृत करती है।

कोविड–19 के गृह–आधारित प्रबंधन पर सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों का संग्रह जारी

शिमला। नीति आयोग ने कोविड – 19 के गृह – आधारित प्रबंधन पर एक संग्रह जारी किया। इस संग्रह में महामारी से निपटने के लिए राज्यों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को शामिल किया गया हैं।

इस रिपोर्ट को नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार, सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ विनोद के पॉल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और अपर सचिव डॉ राकेश सरवाल द्वारा जारी किया गया।

यह संग्रह राज्यों द्वारा अपनाए गए विभिन्न गृह – आधारित देखभाल म डल की एक समग्र तस्वीर प्रस्तुत करता है और बुनियादी सिद्धांतों और व्यावहारिक सिफारिशों को सारांशित भी करता है। इनमें से कई सफल रणनीतियों को दोहराया और इन्हें आगे भी उपयोग किया सकता है।

पिछले दो वर्षों में, देश कोविड – 19 के रूप में एक अप्रत्याशित सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहा है। महामारी की शुरुआत के बाद से, राज्य सरकारों ने वायरस के प्रसार को रोकने के लिए विभिन्न नवीन उपायों को अपनाने के साथ अपनी प्रतिक्रिया दी है। कोविड – 19 संक्रमण की बदलती गतिशीलता को देखते हुए, गंभीर मामलों और मृत्यु की संख्या को कम करने के लिए इसकी शीघ्र पहचान, दूरस्थ निगरानी और उपयुक्त रेफरल तंत्र का आहवान किया गया। इसी दिशा में कार्य करते हुए, 'कोविड – 19 के लिए गृह – आधारित देखभाल मॉडल' तैयार किया गया।

गृह – आधारित देखभाल क्यों?

गृह – आधारित देखभाल एक कम लागत वाली व्यवस्था है और टेलीमेडिसिन/कॉल सेंटर/ऐप्स आदि जैसे डिजिटल उपकरणों की मदद से एक ही समय में कई लोगों तक पहुंच सकती है। यह महामारी प्रबंधन के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उभरी है। इस संग्रह में शामिल विभिन्न घरेलू देखभाल सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों ने रोगियों और उनके परिवारों को समग्र सहायता प्रदान की है।

हालाँकि, इसकी कुछ सीमाएँ हो सकती हैं यदि सभी सेवाएँ सभी स्तरों पर जुड़ी और एकीकृत नहीं हैं और यदि रेफरल, परिवहन और भर्ती करने में देरी हो रही है। प्रोटोकॉल का ठीक से पालन नही होने पर परिवार के सदस्यों में संक्रमण फैलने का खतरा रहता है इसलिए कुशल घरेलू देखभाल के लिए स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रियाएं और गंभीर रोगियों का अलग से निर्धारण करना अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। बेहतर तरीके से काम करने वाली रेफरल सुविधाओं के मामले में अस्पताल में भर्ती होना चाहिए।

एकीकृत कमान और सुविधा केंद्रों को कोविड – 19 में उपयोग करने के लिए स्थिति के अनुरूप, व्यवस्था योग्य और लचीला होना चाहिए और एक महामारी की स्थिति में गैर – कोविड संबंधित सेवाएं स्थिति के अनुरूप होनी चाहिए।

सामुदायिक जुड़ाव और प्रबंधन ने बड़े पैमाने पर गृह – आधारित देखभाल में योगदान दिया है। मामलों के बेहतर प्रबंधन और डर एवं बदनामी से बचाने के लिए स्थानीय प्रयास आवश्यक हैं। सामुदायिक तैयारी यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकती है कि कोई भी मदद के मामले में पीछे न छूटे। इस संग्रह में उल्लेखित गृह – आधारित देखभाल कार्य प्रणालियों को राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अपने अनुभवों के आधार पर संबंधित संदर्भों में आगे उपयोग के लिए अपनाया और स्थिति के अनुरूप दोहराया जा सकता है।

यह आशा की जाती है कि यह संग्रह राष्ट्रीय और उप – राष्ट्रीय स्तरों पर स्थायी स्वास्थ्य देखभाल मॉडल तैयार करने के मामले में निर्णय लेने वालों को रणनीतिक दिशा प्रदान करेगा।

हिमाचल प्रदेश के राजकीय स्वास्थ्य संस्थानों में मरीजों को 1374 दवाईया निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही

शिमला। राज्य में किसी भी बीमार व्यक्ति को दवाईयों के लिए परेशान न होना पड़े इसके लिए राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क दवा योजना के अन्तर्गत सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में उपचार करवाने के लिए आने वाले मरीजों को दवाईयां निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। राज्य सरकार द्वारा यह निःशुल्क दवाईयां प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों सहित सभी स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के सभी राजकीय स्वास्थ्य संस्थानों में लगभग 1374 दवाईयां निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। जिनमें क्षेत्रीय अस्पतालों, सिविल अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में 885 दवाएं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर 417 और स्वास्थ्य उप – केंद्र स्तर पर विभिन्न बीमारियों की 72 दवाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अभी तक निःशुल्क दवा योजना के अन्तर्गत राजकीय स्वास्थ्य संस्थानों में उपचार के लिए आने वाले मरीजों को अब तक 16,29,425 दवाईयों का वितरण विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से किया गया है। इस पहल के तहत एक अप्रैल, 2021 से नवम्बर माह तक जहां 10,63,153 दवाईयां विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों, स्वास्थ्य शिविरों, आंगनबाड़ियों, जनमंच आदि के माध्यम से वितरित की गई हैं वहीं, इससे पहले प्रदेश भर में विभिन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में 5,66,272 दवाएं वितरित की जा चुकी हैं।

राज्य सरकार द्वारा आम जनमानस को राजकीय स्वास्थ्य संस्थानों में निःशुल्क दवाईयां उपलब्ध करवाने के लिए पर्याप्त बजट भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा अब तक आवश्यक दवाओं की खरीद पर लगभग 216 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है।

राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि स्वास्थ्य संस्थानों में बीमार व्यक्तियों को उपचार संबंधी दवाईयां निर्बाध रूप से मिलती रहे, इसके लिए समय – समय पर सभी आवश्यक कदम भी उठाए जा रहे हैं। इन दवाओं की आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने के लिए खरीद प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और जिलों के सभी 12 मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, 4 चिकित्सा अधीक्षक, 6 चिकित्सा महाविद्यालय, 9 क्षेत्रीय अस्पताल, 3 ज़ोनल अस्पताल को ई – औषधि पोर्टल के माध्यम से दवाओं की खरीद के लिए अधिकृत किया है। जिनके द्वारा समय – समय पर आवश्यक दवाईयों के खरीद आदेश सक्रिय रूप से तैयार किए जा रहे हैं और सभी स्वास्थ्य संस्थानों में इन निःशुल्क दवाओं की आपूर्ति समय पर सुनिश्चित की जा रही है।

मुख्यमंत्री के संवेदनशील एवं दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को सर्व सुलभ करने के लिए अनेक योजनाएं बनाई है। राज्य सरकार ने 216 करोड़ रुपये की राशि व्यय कर निःशुल्क दवाईयां उपलब्ध करवा सभी को गुणवत्तायुक्त उपचार प्रदान करने की अद्वितीय पहल की है। इसके अलावा सहारा, हिमकेयर जैसी योजनाओं से आज विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त कर लोग लाभान्वित हो रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित किया

❖ ओम बिरला ने आशा जताई सम्मेलन से लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूती मिलेगी

❖ जय राम ठाकुर ने प्रधानमंत्री से धर्मशाला में राष्ट्र ई–अकादमी की स्थापना का आग्रह किया

शिमला/शैल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला में प्रदेश विधानसभा के सदन में आयोजित 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। इस समारोह को अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के शताब्दी वर्ष समारोह के रूप में मनाया जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र केवल भारत के लिए एक प्रणाली ही नहीं है बल्कि यह हमारे स्वभाव और जीवन के हिस्से में निहित है। हमें देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है और आने वाले वर्षों में असाधारण लक्ष्य हासिल करने हैं तथा ये संकल्प सबके प्रयासों से पूरे होंगे। भारत के लोकतंत्र और संघीय व्यवस्था में जब हम 'सबका प्रयास' की बात करते हैं, तो सभी राज्यों की भूमिका इसके लिए एक बड़ा आधार है।

'सबका प्रयास' के महत्व को उल्लेखित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि चाहे पूर्वोत्तर की दशकों पुरानी समस्याओं का समाधान हो या दशकों से अटकी विकास की सभी बड़ी परियोजनाओं को पूरा करने की बात हो, देश में पिछले वर्षों में ऐसे बहुत से कार्य हुए हैं जिनमें सभी के प्रयास शामिल हैं। उन्होंने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई को 'सबका प्रयास' का एक बेहतरीन उदाहरण बताया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी विधानसभाओं के सदनों की परम्पराएं और प्रणालियां स्वाभाविक रूप से भारतीय होनी चाहिए। उन्होंने 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की भारतीय भावना को मजबूत करने के लिए सरकारों से नीतियों और कानूनों पर विशेष बल देने का आहवान किया। उन्होंने कहा यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि सदन में हमारा अपना आचरण भारतीय मूल्यों के अनुसार होना चाहिए।

नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा देश विविधताओं से भरा है। हजारों वर्षों के विकास में हमने यह महसूस किया है कि विविधता के बीच एकता की भव्य, दिव्य और अखंड धारा बहती

है। एकता की यह अटूट धारा हमारी विविधता को संजोती है, उसकी रक्षा करती है।

प्रधानमंत्री ने प्रस्ताव रखा कि क्या वर्ष में तीन–चार दिन सदन में समाज के लिए कुछ विशेष करने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए आरक्षित किए जाएं और उनके सामाजिक जीवन के इस पहलू के बारे में देश को बताएं। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के साथ–साथ समाज के अन्य लोगों को भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पूरे भारत में संसदीय प्रक्रिया का उचित समन्वय सुनिश्चित करना है। इसके अलावा, इसका उद्देश्य और दायरा विधायिकाओं के लोकतंत्रीकरण और लोकतंत्र के बेहतर कामकाज के लिए जिम्मेदारी के विकास पर भी है। उन्होंने कहा कि सदन के काम–काज को प्रभावी बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग की आवश्यकता है।

ओम बिरला ने आशा व्यक्त की कि यह सम्मेलन देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने में एक लंबा सफर तय करेगा। उन्होंने कहा कि संसद और राज्य विधानमंडल जनता की शिकायतों को दूर करने और कार्यपालकों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए पहला मंच है। सदन में उठाई जाने वाली समस्याओं और स्थितियों का प्रभावी तरीके से निवारण किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा को अपनी उच्च परंपराओं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सकारात्मक चर्चा के लिए जाना जाता है। राज्य विधानसभा के पहले अध्यक्ष जयवंत राम से लेकर वर्तमान अध्यक्ष विपिन परमार तक विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों ने इस प्रतिष्ठित सदन की अध्यक्षता की और सदन की कार्यवाही का सम्मानजनक तरीके से संचालन करते हुए मार्गदर्शन किया। उन्होंने राज्य के पहले मुख्यमंत्री डा. यशवंत सिंह परमार सहित अन्य पूर्व मुख्यमंत्रियों राम लाल ठाकुर, वीरभद्र सिंह, शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल का राज्य के प्रति योगदान के लिए स्मरण किया।

जय राम ठाकुर ने प्रधानमंत्री से कांगड़ा जिले के धर्मशाला में राज्य के लिए राष्ट्र ई–अकादमी स्वीकृत करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसने अपनी विधानसभा में कागजरहित काम शुरू किया जिसे अब ई–विधान के नाम से जाना जाता है। यह सदन देश और राज्य के संवैधानिक इतिहास में कई महत्वपूर्ण गतिविधियों का गवाह रहा है। पूर्व राष्ट्रपति डा. ए. पी.जे. अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी ने इस प्रतिष्ठित सदन को संबोधित किया था। हाल ही में, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी राज्य के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर इस प्रतिष्ठित सदन को संबोधित कर इसके गौरव को बढ़ाया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 1948 में अपनी स्थापना से लेकर अब तक विकास यात्रा में नए आयाम हासिल किए हैं। प्रदेश के ईमानदार और मेहनती लोगों के प्रयासों से आज विकास के मामले में अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि राज्य में वर्ष 1948 में प्रति व्यक्ति आय 240 रुपये थी जो 2020–21 में बढ़कर 1.95 लाख रुपये से अधिक हो गई है। वर्ष 1948 में राज्य में सड़कों की लंबाई 288 किलोमीटर थी, जबकि आज 37,808 किलोमीटर सड़कें राज्य के कोने–कोने को जोड़ रही हैं।

राज्यसभा के उप–सभापति हरिवंश ने कहा कि अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन न केवल हमारे लोकतंत्र के 100 गौरवशाली वर्षों का जश्न मनाने का कार्यक्रम है बल्कि अगले 100 वर्षों के लक्ष्यों और उद्देश्यों पर विचार करने का भी अवसर है। उन्होंने सदन में दिए गए आश्वासनों के क्रियान्वयन में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की।

प्रदेश में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पीठासीन अधिकारियों का पहला सम्मेलन यहां 1921 में हुआ था और हम सभी भाग्यशाली हैं कि हम इस आयोजन को शताब्दी वर्ष के रूप में मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा को सूचना देने में संकोच नहीं करना चाहिए क्योंकि कई बार यह महसूस किया गया है कि सदन में सूचना के अधिकार के माध्यम से सूचना अधिक शीघ्रता से प्राप्त की जा सकती है।

प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने वर्चुअल रूप से समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर और इस अवसर पर मौजूद अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस सदन ने अपने गौरवशाली अतीत के दौरान 1300 से अधिक कानून पारित किए हैं।

प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष हंस राज ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

देश की विभिन्न विधानसभाओं के अध्यक्ष, लोकसभा के महासचिव, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, मंत्री, सांसद और विधायक समेत अन्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

सड़क पर रहने वाले बच्चों के राष्ट्र निर्माता बनने की राह

शिमला। अनेकों योजनाओं और कानूनी प्रावधानों के बावजूद स्ट्रीट चिल्ड्रेन की समस्या इसलिए बनी रही क्योंकि अब तक हम इसे सामाजिक समस्या के तौर पर देखते रहे हैं और हमने कानूनी पहलू से स्ट्रीट चिल्ड्रेन की समस्या को देखा ही नहीं A Standard Operating procedure for Children in Street Situations इसी समस्या के समाधान की दिशा में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा किया गया एक समग्र प्रयास है।

जिस गति से देश में शहरीकरण हो रहा है उससे निश्चित ही देश की विकास यात्रा स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है किंतु इन्हीं विकसित हो रहे शहरों की सड़कों पर देश के भविष्य की राह को पुष्ट करने वाला बचपन धूमिल होता दिखना भी हमारे समाज की सच्चाई है, जिससे किसी भी सूरत में इंकार नहीं किया जा सकता। ऐसे क्या कारण हो सकते हैं जब देश में बच्चों के लिए अनेकों योजनाएं हैं साथ ही संविधान और विभिन्न कानून भी उन्हें विकास के समान अवसर देते हैं, फिर भी वह सड़कों पर जीवन व्यतीत करने को मजबूर है। विकास और सामाजिक पिछड़ेपन का यह एक ऐसा द्वंद है जिसका समाधान खोजे बिना हम देश के विकास को नई दिशा नहीं दे सकते। बच्चों का सड़क पर इस तरह से जीवन व्यतीत करना बड़े स्तर पर उनके संवैधानिक अधिकारों का उलंघन है जिसका समग्र दुष्प्रभाव उनके मानसिक, शारीरिक और शैक्षणिक विकास पर पड़ता है और अंत में उसका भुगतान देश को करना पड़ता है। **SOP 2.0- Standard Operating procedure for Children in Street Situations** इसी समस्या के समाधान की दिशा में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा किया गया एक समग्र प्रयास है।

जब हम अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करने वाले बच्चों की बात करते हैं तो हमारे समक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा उदाहरण मौजूद हैं जिन्होंने अभावग्रस्त जीवन जिया है और वह उस भाव को समझते हैं कि किस तरह अभावग्रस्त बचपन में संघर्ष कर मुख्यधारा में शामिल होकर देश के विकास में अपना सहयोग दिया जा सकता है। आयोग ने उनके जीवन और शब्दों से प्रेरणा लेकर यह तय किया कि यदि शुद्ध अंतकरण से हम कार्य करेंगे तो केवल असंभव शब्द ही असंभव रह जाता है बाकी सब संभव हो जाता है। कुछ भी असंभव नहीं है और यही वह समय है जब हम यह तय कर सकें कि जो बच्चे सड़क पर हैं उन्हे घर मिलना चाहिए और यह उनका अधिकार है।

इस ओर आगे बढ़ने के लिए यह उचित समय था जब हमारे पास 2 लाख से ज्यादा ऐसे बच्चों की जानकारी उपलब्ध थी जो सड़कों पर जीवन व्यतीत करने को बाध्य हैं। इन बच्चों को कैसे समाज की मुख्यधारा से जोड़ सकें इसके लिए 1 वर्ष से हम लोगों ने आयोग के बाहर और अंदर सतत रूप से कार्य किया है। इस दौरान बच्चों से उनकी स्थिति में मिलकर उनसे बात की और उनकी समस्याओं को दर्ज किया जिससे कि उनके समाधान की राह बनाई जा सके। इसके साथ ही इस एसओपी (SOP) को बनाने में राज्य बाल आयोगों ने अपने महत्वपूर्ण विचार दिए हैं। अनेकों योजनाओं और कानूनी प्रावधानों के बावजूद स्ट्रीट चिल्ड्रेन की समस्या इसलिए बनी रही क्योंकि अब तक हम इसे सामाजिक समस्या के तौर पर देखते रहे हैं और हमने कानूनी पहलू से स्ट्रीट चिल्ड्रेन की समस्या को देखा ही नहीं। इससे लगातार इन बच्चों के अधिकार तय करने वाले कानूनों का उलंघन होता रहा और यह विकास की धारा में शामिल नहीं हो सके। जब हम उन बच्चों की बात करते हैं जो अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं, सड़क पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं या बाल मजदूरी से पीड़ित हैं तो असल में स्ट्रीट चिल्ड्रेन

राज्यपाल ने श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को अपनाने पर बल दिया

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सिख पंथ के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी के

प्रकाशोत्सव के अवसर पर कार्ट रोड स्थित गुरुद्वारा साहिब का दौरा किया तथा शब्द कीर्तन में भाग लिया।

राज्यपाल ने इस पवित्र दिवस पर सिख समुदाय को शुभकामनाएं दी और कहा कि गुरु नानक देव जी ने सदैव प्रेम, शांति और साम्प्रदायिक सद्भाव को सर्वोपरि मानते हुए विश्व बंधुत्व की भावना का प्रसार किया। उन्होंने श्री गुरू नानक देवी जी की शिक्षाओं का अनुसरण करने व उन्हें जीवन में आत्मसात करने पर बल दिया।

गुरुद्वारा सिंह सभा के अध्यक्ष सरदार जसविंदर सिंह ने राज्यपाल को सिरोपा, गुरु नानक देव जी की तस्वीर और कृपाण भेंट किया।

लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती में प्रेस की भूमिका बहुत महत्वपूर्णःजे.सी शर्मा

शिमला/शैल। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के उपलक्ष्य में सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग ने होलीडे होम में कौन मीडिया से नहीं डरता विषय पर राज्यस्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया।

इस अवसर पर सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जे.सी शर्मा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रेस एक महत्वपूर्ण स्तम्भ की भूमिका निभा रहा है। मीडिया को अपने क्षमता

निर्माण में वृद्धि की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था के संचालन में कुशलतापूर्वकयोगदान दे सके। इसके अतिरिक्त, मीडिया को समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए जनता को तथ्यों पर आधारित सही जानकारी उपलब्ध करवानी चाहिए ताकि वे असामाजिक तत्वों के झूठे प्रचार का शिकार होने से बच सकें।

उन्होंने कहा कि जनता की राय बनाने के लिए रचनात्मक आलोचना आवश्यक है जिससे सरकार को लोगों की प्रतिक्रिया हासिल करने में भी सहायता मिलती है और उनके कल्याण के लिए सुधारात्मक कदम उठाती है। उन्होंने पत्रकारों से नशे के दुरूपयोग और सड़क सुरक्षा सम्बन्धी जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर विचार साझा करने के लिए प्रदेश सरकार के माईगव पोर्टल पर भी चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि समाज में सूचना के अधिकार की बहुत महत्पूर्ण और रचनात्मक भूमिका है लेकिन कई बार कुछ लोग अपने निजी स्वार्थों के लिए इसका दुरूपयोग करते हैं। इसलिए आवश्यक है कि आरटीआई के माध्यम से एकत्र की गई जानकारी पर आधारित रिर्पोटिंग करने से पहले इससे सम्बन्धित नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर गौर करे ताकि समाज को किसी प्रकार की क्षति न हो। उन्होंने कोविड महामारी के दौरान प्रदेश सरकार को दिए गए सहयोग के लिए मीडिया का आभार व्यक्त किया और कहा कि राज्य सरकार उन्हें बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए सदैव संवेदनशील है।

वरिष्ठ पत्रकार पी.सी. लोहमी ने कहा कि मीडियाकर्मियों के लिए आत्मविवेचन का यह सही समय है कि खासकर ऐसे दौर में जब पिछले लगभग तीन दशकों से मीडिया की विश्वसनीयता में कमी आयी है। व्यापक विस्तार और बेहतर सुविधाओं की उपलब्धता के बावजूद समाज में मीडिया का प्रभाव कम हो रहा है और इसने एक व्यवसाय का रूप ले लिया है जिसके फलस्वरूप मीडिया आज आम आदमी की आवाज नहीं बन पा रहा है। उन्होंने कहा कि मीडियाकर्मियों को बिना डर के सत्य पर आधारित तथ्यों पर समाचार लिखने व दिखाने का साहस करना चाहिए। उन्हें सही जानकारी प्राप्त करने के लिए समाज के सभी वर्गों के साथ निरंतर सम्पर्क बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह प्रेस का कर्तव्य है कि वह अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखे और उन लोगों की आवाज बने जिनकी बात को कहीं सुना नहीं जा रहा। उन्होंने कहा कि मीडिया का भय और अधिक होना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार में संलिप्त सम्पन्न और प्रभावशाली लोगों पर नियंत्रण पाया जा सके।

आउटलुक पत्रिका के सहायक सम्पादक और वरिष्ठ पत्रकार डॉ. अश्वनी शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि पत्रकारिता की विश्वसनीयता हर कीमत पर बनाई रखी जानी चाहिए। पत्रकारों को सामाजिक सरोकार से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर लोगों को जागरूक करने और जनमत तैयार करने के लिए अपने व्यावसायिक कार्य में और दक्षता लाने पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी में काफी बदलाव आया है, लेकिन इसके साथ-साथ मीडिया की विश्वसनीयता भी कम हुई है। ऐसे में यह अनिवार्य है कि समाचारों और विचारों को मिश्रित कर कोई वर्णात्मक कहानी बनाने के बजाय तथ्यों पर आधारित रिपोटिंग की जाए।

उनका कहना था कि मीडिया की विश्वसनीयता घटने से ईमानदार व आम आदमी के मन में डर की एक भावना उत्पन्न हुई है, जबकि दूसरी ओर प्रभावशाली और गैर कानूनी कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों में भय का माहौल नहीं है, क्योंकि वे अक्सर विभिन्न माध्यमों से मीडिया को नियंत्रित करते हैं। उन्होंने इस बात पर भी चिंता जाहिर की कि आजकल खोजी पत्रकारिता का चलन लगभग समाप्त हो गया है। ऐसे में यह आवश्यक है कि मीडिया पारदर्शिता के साथ कार्य करते हुए निर्भय होकर रिपोटिंग करें। उन्होंने कहा कि हमें एक स्वतंत्र और भयमुक्त मीडिया की आवश्यकता है, जो समाज की सही तस्वीर सामने रख सके।

हिमफेड के अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार गणेश दत्त ने कहा कि मीडिया विश्वसनीयता के संकट से जूझ रहा है और राष्ट्रीय प्रेस दिवस पत्रकारों के आत्म अवलोकन करने के लिए विशेष अवसर है। वे सरकार की कमियों को दूर करने मं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, परन्तु उनका अवलोकन निर्णायक नहीं हो सकता। किसी भी मीडियाकर्मी को किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए बल्कि उन्हें नैतिकता, जिम्मेदारी और ईमानदारी से समाज का मार्गदर्शन करने के लिए कार्य करना चाहिए।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के निदेशक हरबंस सिंह ब्रसकोन ने अपने स्वागत भाषण में राष्ट्रीय दिवस के विशेष अवसर पर मीडिया कर्मियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस दिवस के आयोजन का प्रमुख उद्देश्य भारतीय प्रेस परिषद द्वारा परिकल्पित पत्रकारिता के स्वतंत्र एवं पारदर्शी उच्च मूल्यों को आगे ले जाना है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में मीडिया सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं को अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने में सराहनीय योगदान दे रहा है। इसके अलावा मीडिया आम आदमी की समस्याओं को भी उजागर कर रहा है, जिसके कारण सरकार को लोगों की समस्याओं के समाधान और उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करने में सहायता मिलती है।

इस अवसर पर विचार-विमर्श सत्र का आयोजन भी किया गया, जिसमें पत्रकारों ने वर्तमान समय में मीडिया के समक्ष चुनौतियों और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की तथा सुझाव दिए कि समाज की बेहतरी के लिए मीडिया किस प्रकार अपना योगदान बढ़ा सकता है।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग की अतिरिक्त निदेशक आरती गुप्ता, संयुक्त निदेशक प्रदीप कंवर व महेश पठानिया और अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा पत्रकार इस अवसर पर उपस्थित थे।

शक्तिपीठों की निगरानी के लिए जिला स्तर पर कमांड सेंटर स्थापितःडीसी

कांगड़ा। कांगड़ा जिला के प्रमुख शक्तिपीठों चामुंडा, ज्वालाजी, ब्रजेश्वरी धाम मंदिर में श्रद्वालुओं की बेहतर सुविधा, सुरक्षा तथा पारदर्शिता के लिए हाईटैक कर दिया गया है, इन मंदिरों में चल रही गतिविधियों की पल-पल की निगरानी के लिए सीसीटीवी फीड को लाइव करने के साथ जिला स्तर पर कमांड सेंटर भी स्थापित किया गया है।

यह जानकारी देते हुए उपायुक्त डा निपुण जिंदल ने कहा कि जिला स्तरीय कमांड सेंटर से मंदिरों में चल रहे सभी कार्यो की मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाएगी ताकि मंदिरों का बेहतर संचालन सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि श्रावण नवरात्रों में चामुंडा मंदिर में दान के लिए क्यूआर कोड आधारित प्रणाली का प्रयोग भी किया गया जो पूर्णतय: सफल रहा है अब कांगड़ा जिला के तीनों ही शक्तिपीठों में दान के लिए क्यूआर कोड की व्यवस्था कर दी गई है। श्रद्वालु अब अपने मोबाइल के माध्यम से भी दान दे सकते हैं।

उन्होंने कहा कि सभी मंदिरों में हाजिरी के लिए फेस बायोमेट्रिक्स मशीन भी लगाई गई है ताकि कर्मचारी समय पर मंदिर में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकें। उपायुक्त डा निपुण जिंदल ने कहा कि शक्तिपीठों को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक प्लान भी तैयार किया जा रहा है इसके लिए मंदिर प्रशासन को दिशा निर्देश दिए गए हैं। मंदिरों में स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए भी कारगर कदम उठाए जा रहे हैं इसके साथ ही श्रद्वालुओं को बेहतर सुविधाएं देने को भी विशेष प्राथमिकता दी जा रही है।

अवैध खनन पर कड़ी कार्यवाही करें अधिकारीःउपायुक्त

चम्बा। अवैध खनन पर अंकुश लगाने के मकसद से गठित जिला स्तरीय समिति की जिला सूचना विज्ञान केंद्र के सभागार कक्ष में आयोजित

वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त चम्बा ने कहा की अवैध खनन में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ाई से कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाए और कहा कि अवैध खनन में लिप्त पाए जाने वाले ट्रैक्टर जो बिना पंजीकरण के चल रहे हैं, उन्हें जब्त किया जाए। उन्होंने कहा कि एक तो इस तरह के वाहन मालिक अवैध खनन में लिप्त हैं वहीं बिना पंजीकरण ट्रैक्टरों को उपयोग में लाकर नियमों की और अवहेलना कर रहे हैं।

उपायुक्त ने अवैध खनन के मामलों में सामूहिक एक्शन की जरूरत पर भी बल देते हुए कहा कि पुलिस विभाग ड्रोन के माध्यम से भी अवैध खनन पर कड़ी नजर रखें।

उपायुक्त ने एसडीएम डलहौजी, सलूणी, व चंबा को निर्देश देते हुए कहा कि प्रतिमाह निर्धारित चालान के लक्ष्य को भी सुनिश्चित बनाएं ।

उन्होंने कहा कि खनन विभाग, पुलिस व वन विभाग के अलावा प्रशासनिक अधिकारी अवैध खनन को लेकर प्रभावी कदम उठाएं।

जिला खनन अधिकारी ज्योति कुमार पुरी ने बताया कि विभाग द्वारा 258 चालान किए गए हैं और गत 3 महीनों में 8 लाख की धनराशि जुर्माने के तौर पर वसूली गई है ।

बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा खनन, लोक निर्माण, वन और पुलिस विभागों के अधिकारी भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे।

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर सीटू 26 नवम्बर को प्रदेशव्यापी प्रदर्शन करेगा

शिमला। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच के देशव्यापी आहवान पर मजदूर संगठन सीटू द्वारा 26 नवम्बर को प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किए जाएंगे। इस दौरान प्रदेश भर में हज़ारों मजदूरों द्वारा जोरदार प्रदर्शन किए जाएंगे। ये प्रदर्शन शिमला,रामपुर,रोहड़ू,निरमण्ड, ठियोग,टापरी, सोलन, अर्की,पौंटा साहिब, कुल्लू, आनी, सैंज, बंजार, मंडी, जोगिंद्रनगर, सरकाघाट, बालीचौकी, हमीरपुर, धर्मशाला, चम्बा, ऊना आदि में किए जाएंगे। सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा व महासचिव प्रेम गौतम ने देश के किसानों को किसान विरोधी तीन कृषि कानूनों को खत्म करने की लड़ाई को इतिहासिक करार दिया है। उन्होंने कहा है कि किसानों के एक साल के लंबे संघर्ष के कारण ही केंद्र की मोदी सरकार को पीछे हटना पड़ा है व तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा करनी पड़ी है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी को केंद्र की मोदी सरकार ने पूंजीपतियों के लिए लूट के अवसर में तब्दील कर दिया है। कोरोना काल में पारित मजदूर विरोधी चार लेबर कोड, बिजली विधेयक 2020, सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण, नई शिक्षा नीति, भारी बेरोजगारी, महिलाओं व दलितों पर बढ़ती हिंसा इसके प्रमुख उदाहरण हैं। सरकार के ये कदम मजदूर, किसान, कर्मचारी, महिला, युवा, छात्र व दलित विरोधी रहे हैं तथा पूंजीपतियों के हित में हैं।

उन्होंने कहा कि मजदूर विरोधी चार लेबर कोडों के खिलाफ आंदोलन तेज होगा। इस कड़ी में 26 नवम्बर को देशव्यापी प्रदर्शन होंगे। इसके बाद बजट सत्र 2022 में मजदूरों द्वारा दो दिन की हड़ताल की जाएगी।

उन्होने कहा कि जनता भारी महंगाई से त्रस्त है। खाद्य वस्तुओं, सब्जियों व फलों के दाम में कई गुणा वृद्धि करके जनता से जीने का अधिकार भी छीना जा रहा है। पेट्रोल-डीजल व रसोई गैस की बेलगाम कीमतों से जनता का जीना दूभर हो गया है। उन्होंने बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने की मांग की है।

भेड़ पालकों को हर समस्या से निजात दिलाएंगे:कपूर

कांगडा। वूल फेडरेशन के चेयरमैन त्रिलोक कपूर ने कहा कि जिला कांगड़ा तथा चंबा में भेड़ बकरियों के खूर और मुंह की बीमारी की परेशानी से भेड़ पालकों को निजात दिलाने के लिए कारगर कदम उठाए जाएंगे इस के लिए पशुपालन विभाग के निदेशक डा. प्रदीप शर्मा से भी आग्रह किया गया है कि भेड़ पालकों को आवश्यकतानुसार दवाइयां उपलब्ध करवाई जाएं। उन्होंने कहा कि सर्दियों में अधिकांश भेड़ पालक अपनी भेड़ बकरियों को लेकर कांगड़ा तथा प्रदेश के अन्य मैदानी इलाकों की तरफ निकलने हैं, भेड़ पालकों की सुविधा को देखते हुए सभी पशु अस्पतालों में तैनात पशु चिकित्सकों की स्पेशल टीमें गठित करने के लिए कहा गया है जो कि भेड़ बकरियों के हर डेरे का निरीक्षण करें तथा खूर और मुंह की बीमारी से ग्रसित भेड़ बकरियों का उचित उपचार करें तथा दवाइयां भी उपलब्ध करवाएं ताकि भेड़ पालकों को किसी भी स्तर पर दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। वूल फेडरेशन के चेयरमैन त्रिलोक कपूर ने कहा कि प्रदेश सरकार भेड़ पालकों के उत्थान के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है तथा उनकी सुरक्षा के लिए बेहतर कदम उठाए जा रहे हैं।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

कृषि कानूनों की वापसी के साथ ही एमएसपी के लिए वैधानिक प्रावधान क्यों नही

- एमएसपी की प्रक्रिया को समझना होगा
- जब दूसरे उद्योगपति अपने उत्पादों की कीमतें स्वयं तय करते हैं तो किसान के लिए एमएसपी का विरोध क्यों

शिमला/शैल। प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों को संसद के अगले सत्र में वापस लेने की घोषणा कर दी है। इस घोषणा के साथ ही आंदोलनरत किसानों से घर वापस जाने की अपील की है। परंतु किसानों ने अभी घर वापसी जाने से यह कहकर इंकार कर दिया है कि वह इस घोषणा पर अमल होने तक इंतजार करेंगे। इसी के साथ किसानों ने एम एस पी का वैधानिक प्रावधान किये जाने की भी मांग की है। स्मरणीय है कि केंद्र सरकार ने 10 जुलाई 2013 को पत्र संख्या F.No.-6-3/2012-FEB-ES(VOl-11) के माध्यम से एक आदेश जारी किया था। इस आदेश में कहा गया था कि सरकार ने फसलों की खरीद करने के लिए कम से कम समर्थन मूल्य जारी रखने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार की एजेंसियां काम करेंगी और खरीद जारी रखेंगी। इसमें एफसीआई हर प्रकार के अनाज की खरीद करेगी नाफेड, सीडब्ल्यूसी, एनसीसीएफ तथा एसएफएसी दालों और तेल वाले बीजों की खरीदेंगी। नाफेड को कपास खरीदने की भी जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन इन विवादित कृषि कानूनों के आने से यह सारी व्यवस्था तहस महस हो गयी। इस आंदोलन के दौरान भी सरकार यह दावा करती रही की एमएसपी को हटाया नहीं गया है। परंतु व्यवहार में यह कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। इसलिए आज किसान इसका वैधानिक प्रावधान किये जाने की मांग कर रहे हैं।

एमएसपी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का परिणाम है और लंबे समय से इस आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की मांग चली आ रही है। 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने भी यह वायदा किया था की चुनाव जीतने के बाद कुर्सी पर बैठते ही पहला काम वह इस रिपोर्ट को लागू करने का करेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि सरकार ने 1964 में एक एग्रीकल्चर प्राइसिंग कमीशन बनाया था और इसकी ड्यूटी लगाई थी की किसान की हर फसल का विक्रय मूल्य तय किया जाये। इस कमीशन नें यह मूल्य तय करते समय किसान की लागत का ध्यान नहीं रखा। इसके लिए 1985 में एक नया एग्रीकल्चर लागत और कीमत कमीशन बनाया गया। इस कमीशन को कीमतें तय करने के लिए 12 बिंदु दिए गये जिनमें एक पैदावार की लागत दो पैदावार के लिए प्रयोग की गई वस्तुओं के मूल्य में बदलाव तीन लागत और पैदावार की कीमतों में संतुलन चार बाजार के झुकाव 5 डिमांड और सप्लाई 6 फसलों का आपसी संतुलन सात तय की जाने वाली कीमत का उद्योग पर असर 8 कीमत का लोगों पर बोझ 9 आम कीमतों पर असर 10 अंतरराष्ट्रीय कीमतों की स्थिति 11 किसान द्वारा दी गई और वसूल की गई कीमत का संतुलन 12 बाजारी कीमतों पर सब्सिडीज का असर। लेकिन इन बिंदुओं को देखने से पता चलता है कि इनमें 4, 5, 7, 9, 10 और 12 का किसान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इस तरह कीमतें तय करने का नतीजा यह निकला कि किसान का लागत मूल्य एमएसपी से ज्यादा आया। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में लंबित किसानों की एक याचिका में इस आश्य के सारे दस्तावेज आ चुके हैं। जिनके मुताबिक लागत और एमएसपी में 300 से लेकर 400 रूपये तक का फर्क है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य का अर्थ है कि कम से कम यह कीमत तो मिलनी ही चाहिए। सरकार इसको तीन तरह से तय करती है। A 2 पहले नंबर पर वह लागत जो किसान ने खेत जोतने, बीजने, बीज, तेल और मशीनों के किराये के लिए अपने पास से खर्च की।

A2+FL यानी A2 में फैमिली लेबर इसमें नकद खर्च के अतिरिक्त परिवार द्वारा की गई मेहनत जोड़ी जाती है। C2 यानी कॉम्प्रिहैंसिव कास्ट (व्यापक लागत) नकद किया खर्च जमा पारिवारिक मेहनत जमा जमीन का ठेका किराया या जमीन की कीमत पर बनता ब्याज आदि।

लेकिन सरकार A2 को गिन कर ही एमएसपी का ऐलान करती है। कभी इसमें फैमिली लेबर जोड़ लेती है लेकिन C2 देने को बिल्कुल तैयार नहीं होती। जबकि स्वामीनाथन कमीशन ने C2+ 50% देने की सिफारिश की है। इस परिप्रेक्ष में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब सरकार ने तीनों कानून को वापस लेने का ऐलान कर दिया है तो अब एमएसपी पर भी किसान प्रतिनिधियों से चर्चा करके इसे तय करने के मानक पर सहमति बनाकर इसके लिए वैधानिक प्रावधान कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि आज केवल किसान ही ऐसा उत्पादक है जिस की उपज की कीमत दूसरे निर्धारित करते हैं जबकि अन्य सभी उत्पादक अपने उत्पाद की कीमत स्वंय तय करते हैं।

सरकार के वितीय प्रबन्धन

.....पृष्ठ 1 का शेष

है कि वह यह बीस हजार करोड़ का निवेश कहां कर रही है और उससे कितना राजस्व सरकार को कितने समय में मिलेगा? यह जानना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि सरकार जिस तरह से दो मंजिला मकानों में लिफ्ट लगा रही है और शिमला में ही कर्ज के पैसे से 50 लाख में शौचालय और 35 लाख में वर्षाशालिका का निर्माण करती रही तो आम आदमी ऐसे खर्च को विकास के स्थान पर कर्ज लेकर घी पीने की ही संज्ञा देगा। क्योंकि जब एशियन विकास बैंक के पैसे से सरकार होटल बनाकर उसे पहले ही दिन से चलाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को दे देगी तो उसके वित्तीय प्रबंधन पर तो सवाल उठेंगे ही। चर्चा है कि मण्डी के जंजैहली में सरकार ने एशियन विकास बैंक के वित्तपोषण से 25 करोड़ की लागत से होटल सिराज का निर्माण किया है। लेकिन इस होटल को एचपीटीडीसी द्वारा चलाने के बजाये प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है। इस निर्णय से सरकार को नियमित आय हो सकती है यदि एचपीटीडीसी इसे स्वयं चलाये तो। ऐसा कई और जगह भी हो रहा है जिसकी चर्चा आने वाले दिनों में की जाएगी।

अभी तक जारी नहीं हो पायी एससी एसटी ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति

पढ़ाई छोड़ने की कगार पर पहुंचे सैकड़ों छात्र

शिमला/शैल। हिमाचल सरकार एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति प्रदान करती है। यह छात्रवृत्ति सरकारी और प्राइवेट तथा हिमाचल या हिमाचल से बाहर पोस्ट मैट्रिक शिक्षा ग्रहण कर रहे प्रदेश के बच्चों को दी जाती है। इस योजना के तहत पंजाब के मोहाली स्थित बी. जे.ई.एस. ग्रुप शिक्षण संस्थान में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठयक्रमों में प्रदेश के कई बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन इन छात्रों को वर्ष 2017, 2018 और 2019 से यह भुगतान नहीं किया जा रहा है। शिक्षा विभाग भुगतान न किए जाने के कारणों से इन छात्रों और इनके अभिभावकों को कोई भी संतोषजनक कारण नहीं बता रहा है। जबकि छात्रों ने इसके लिए वांच्छित सारे सत्यापित दस्तावेज समय पर विभाग को भेज रखे हैं। इस छात्रवृत्ति के सहारे ही इन वर्गों के छात्र ऐसे संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन जब उन्हें सरकार से उचित समय पर यह छात्रवृत्ति ही नहीं मिलेगी तो यह लोग पढ़ाई कैसे जारी रख पायेंगे यह एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है।

पिछले दिनों एससी वर्ग के लोगों ने शिमला में एक आयोजन करके यह आरोप लगाया था कि सरकार इन वर्गों के लिए आवंटित बजट का केवल 7% ही इनके लिए खर्च कर रही है इस आशय का एक ज्ञापन भी राज्यपाल को सौंपा गया है। लेकिन इसके बावजूद व्यवहारिक स्थिति यह है।

यही नहीं इन वर्गों के नेताओं के लिए भी यह सवाल बना हुआ है क्योंकि इस समय सत्तारूढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी एस सी समुदाय से हैं। सरकार में मंत्री भी ओबीसी समुदाय से हैं। अभी जब स्वर्ण आयोग के गठन को लेकर 300 किलोमीटर की पदयात्रा और शिमला में स्वर्ण आयोग के समर्थकों द्वारा आरक्षण की शव यात्रा निकालने का मामला गरमाया तब एस सी के नेताओं ने इसका कड़ा विरोध किया। इसे संविधान का अपमान बताकर उच्च न्यायालय से इस आश्य की याचिका दायर करने की बात की। लेकिन इन लोगों के लिए सैकड़ों बच्चों की यह समस्या कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं रख रही है। बल्कि इससे यही संदेश जाता है कि इन वर्गों के नेताओं के लिए इनके नाम पर राजनीति करना ही प्राथमिकता है इनकी समस्याओं का हल नही।